IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रएफ.15(92)पंरावि / विधि / वार्डों का गठन / 2019 / 3187 दिनांक : 16/12/19

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त(राजस्थान)
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त(राजस्थान)

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों का गठन एवं आम चुनाव, 2020 में आरक्षण व्यवस्था बाबत ।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2932 दिनांक 30.10.2019, क03052 दिनांक 18.11.2019 एवं पत्रांक 3138 दिनांक 09.12.2019 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के कम में लेख है कि चूंकि डी0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 17993 / 2019 जय सिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 13.12.2019 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों / पंचायत समितियों के पुनर्गठन बाबत दिनांक 15.11.2019 को जारी अधिसूचनाओं (जिनका राजपत्र में दिनांक 16.11.2019 एवं 17.11.2019 को प्रकाशन हुआ है) एवं इन अधिसूचनाओं के कम में जारी शुद्विपत्र की अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 के अतिरिक्त जारी पुनर्गठन सम्बन्धित अन्य समस्त अधिसूचनाओं को Set aside अपास्त किये जाने का निर्णय पारित(प्रति संलग्न) किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पुनर्गठन / नवसृजन बाबत विभागीय अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 को जारी अधिसूचनाओं एवं इन अधिसूचनाओं के कम में जारी शुद्विपत्र अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 के अनुसार ही प्रासंगिक पत्रों के कम में आप द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों का गठन एवं आम चुनाव, 2020 में आरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही दिनांक 22.12.2019 तक की जाकर, वार्डों के गठन एवं आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाये ।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 5(2)(1)पंचा / रानिआ / 2014 / 6038 दिनांक : 16/12/19

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव